

न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. दिनेश राय सापेला, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 04 / 2023

Gems reg. No. 2023/17

प्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम श्री लक्ष्मण पिता लालजी निवासी बप्पटीया, थाना भुंगडा,
जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975


दिनांक 23-10-2023

1- पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा गैर सायल श्री लक्ष्मण पिता लालजी निवासी बप्पटीया, थाना भुंगडा, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

2- पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

1. प्रथम सूचना क्रमांक 24/2018 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना भुंगडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री लक्ष्मण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल से दिनांक 06-03-2020 को जरिये प्रकरण संख्या 397/2018 से दोषसिद्ध किया जाकर चार वर्ष की अवधि के लिए रुपया 10000 का स्वयं का बंधक पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभूति। उक्त अवधि के दौरान शांति व सदाचार बनाये रखने एवं अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

2. प्रथम सूचना क्रमांक 86/2018 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना भुंगडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री लक्ष्मण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, बांसवाड़ा से दिनांक 31-10-2019 को जरिये प्रकरण संख्या 2787/2018 से दोषसिद्ध किया जाकर एक वर्ष की अवधि के लिए रुपया 10000 का स्वयं का बंधक पत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभूति। उक्त



2. अवधि के दौरान शांति व सदाचार बनाये रखने एवं अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
3. प्रथम सूचना क्रमांक 145/2019 अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम पुलिस थाना भुंगडा में दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान गैर सायल श्री लक्ष्मण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो वर्तमान में न्यायालय घाटोल में जैर ट्रायल है।
4. इस प्रकार गैरसायल श्री लक्ष्मण पिता लालजी निवासी बप्पीया, थाना भुंगडा, जिला बांसवाडा (राज.) जो अवैध शराब रखने पर आबकारी अधिनियम के तहत पर कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर 2 प्रकरणों में दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। एक प्रकरण घाटोल न्यायालय में जैर ट्रायल है। जिसके उपरान्त भी गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।

3- इस्तागासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया।

4- दिनांक 20.03.2023 को गैर सायल ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि पूर्व में धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के मामले जो कि न्यायालय द्वारा फैसल हो चुके हैं उनकी नकले थाना भुंगडा जिला बांसवाडा में जमा नहीं करवाई है। जिस कारण पुलिस थाना भुंगडा द्वारा पूर्व में फैसल हुए प्रकरणों को विचाराधीन मानकर बताया है। वर्तमान में मैं शान्तिपूर्ण तरिके से कृषि कार्य कर अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ व वर्तमान में किसी भी आपराधिक व अनैतिक कार्य में संलिप्त नहीं हूँ। मेरे विरुद्ध अमल में लाई गई कार्यवाही निरस्त फरमावे।


5- दिनांक 12.09.2023 को अभियुक्त ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परिवाद में अंकित अपराध को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाने निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत बहस में कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 2 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माने से दण्डित हुआ है। गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः प्रकरण में किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6- हमने पत्रावली तथा उसमें संलग्न अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैर सायल के विरुद्ध अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 3 प्रकरण दर्ज होकर 2 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर जुर्माने से दण्डित हुआ है। फिर भी इसकी आदत में कोई सुधार नहीं है। गैर सायल स्वयं द्वारा भी प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत समुचित अभिलेखीय साक्ष्य एवं स्वीकरोक्ति से आरोप स्पष्ट रूप प्रमाणित होता है। प्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल श्री लक्ष्मण पिता लालजी निवासी बप्पटीया, थाना भुंगडा, जिला बांसवाडा (राज.) को तहसील क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाडा से 40 दिन के लिये निष्कासित किया जाता है। गैर सायल उक्त अवधि में तहसील क्षेत्र घाटोल में विचरण नहीं करेगा एवं न ही पुनः प्रवेश करेगा। इस अवधि में गैर सायल जिस क्षेत्र में निवास करे, उस क्षेत्र के थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करावे। निर्णय की प्रति पालना हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा को भेजी जावे। यह आदेश आज दिनांक से प्रभावी होगा। यदि गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण जिला बांसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को इस न्यायालय एवं संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।

निर्णय आज दिनांक 23-10-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)
बांसवाडा (राज.)

